

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रशासन) बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी:— श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 34/2018

मुखराम नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता रामी देवी पत्नी स्व. किशनलाल जाति  
जाट निवासी ग्राम लिखमीसर उत्तरादा तहसील श्रीडूंगरगढ़

अपीलान्ट

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

रेस्पोंडेन्ट

::अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :-

- 1- श्री बहादूरराम सुथार. - अभिभाषक अपीलार्थी  
2- स्टेट की ओर से - विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक 16.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ के आदेश दिनांक 16.05.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमी घोषित करते हुए अपीलान्ट का वर्षो पुराना कब्जे से बेदखली एवं शास्ति आदेश पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि विरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने के कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2018 निरस्त किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।
2. अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड मंगवाया जाकर मामले के गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस है कि पटवारी हल्का लिखमीसर उत्तरादा की रिपोर्ट दिनांक 26.03.2018 के द्वारा अपीलान्ट को गैर मुमकिन गौचर की 0.0156 हैक्टर भूमि पर नाजायज कब्जा कर बाड़ा बनाकर अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर नायब तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा दिनांक 16.04.2018 को नोटिस जारी कर एवं नोटिस का जवाब प्राप्त कर बिना किसी आधार के, बिना साक्ष्य का अवसर प्रदान किये एवं जवाब प्राप्त होने के दिन ही निर्णय सुनाया जाकर अपीलान्ट के विरुद्ध गैर कानूनी रूप से विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की अवहेलना कर अतिक्रमी घोषित कर अपीलान्ट के वर्षो पुराने कब्जा व आवासीय मकान से बेदखल करने एवं शास्ति राशि वसूल करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट के पिता/माता का पुराना आवासीय मकान वाके ग्राम



श्री. जिला कलक्टर  
(प्रशासन), बीकानेर

लिखमीसर उत्तरादा में बना हुआ है जिस पर अपीलान्त अपने परिवार सहित 30-40 वर्षों से अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। आवासीय मकान के साथ पशुओं का बाड़ा बना हुआ है। जिस पर अपीलान्त का परिवार पशुपालन कर अपना जीवनयापन करता है। स्थानीय प्रशासन द्वारा 30-40 वर्षों में आज से पूर्व किसी भी प्रकार की अपीलान्त के आवास बाबत कोई अनापति अथवा नोटिस नहीं दिया गया है। अपीलान्त ग्राम लिखमीसर उत्तरादा की आबादी भूमि में अन्य ग्रामवासियों की तरह आबाद होकर परिवार सहित बसा हुआ है। अपीलान्त को राजनैतिक गुटबाजी पार्टीबाजी के कारण बेदखल व परेशान करने की नियत से असामाजिक तत्वों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई शिकायत की जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच किये आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो हर प्रकार से निरस्त योग्य है। उन्होंने यह भी कथन किया कि विवादित भूमि वाके ग्राम लिखमीसर उत्तरादा के खसरा नम्बर 319 तादादी 3.93 हैक्टर गैर मुमकिन गौचर भूमि में से 0.0156 हैक्टर भूमि पर पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्त को अतिक्रमी घोषित करने बाबत निवेदन किया गया, जबकि अपीलान्त के स्वर्गीय पिता का उक्त भूमि पर पिछले 30-40 वर्षों से कब्जा था जिस पर वर्तमान में अपीलान्त अपनी माता के साथ निवास कर रहा है। जिस पर अपीलान्त द्वारा अपना रिहायशी मकान बना रखा है। उक्त मकान में अपीलान्त का बिजली का कनेक्शन भी है। उक्त मकान घनी आबादी के बीच में स्थित है। अपीलान्त गरीब एवं चयनित परिवार से है, उक्त सभी तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड पर आ जाने के बावजूद भी अपीलान्त की पारिवारिक व आर्थिक स्थिति पर ध्यान नहीं देकर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 16.5.18 से स्पष्ट है कि दिनांक 16.5.18 को ही अपीलान्त द्वारा न्यायालय के समक्ष जवाब पेश किया गया और दिनांक 16.5.18 को ही अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय सुनाया गया। आदेशिका एवं निर्णय में भिन्नता है। आदेशिका में अपीलान्त/अप्रार्थी की उपस्थिति दिखायी गयी है जबकि आदेश अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्त/अप्रार्थी को अनुपस्थित बताया गया है। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। प्रकरण में अपीलान्त की बहस नहीं सुनी गयी तथा ना ही प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया गया। अप्रार्थी का जवाब प्राप्त कर पत्रावली का निर्णय साईक्लोस्टाईल प्रति में दर्ज कर सुनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कानून के प्रतिपादित सिद्धान्त Audi Alterm Partem (दोनों पक्षों को सुनो) के सिद्धान्त की गंभीर अवहेलना करते हुए



॥  
आते. जिला न्यायालय  
(प्रशासन), बीकानेर

साक्ष्य/समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर गंभीर कानूनी भूल कर न्यायिक प्रतिक्रिया की अवहेलना करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। अपीलान्त अधिवक्ता ने बहस में यह भी कथन किया कि खसरा नम्बर 319 गत खसरा नम्बर 247 से बना है। गत खसरा नम्बर 165/2 है। खसरा नं. 247 भूरा, अमरा पि. लालू जाट के नाम दर्ज है। खातेदारी के समय से कब्जा है। राजस्व नक्शा गुगल व नये नक्शों से मूल नहीं खाता है। गुगल नक्शों में आबादी बसी हुई है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.5.2018 निरस्त फरमाया जावे।

4. रेस्पोंडेंट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि पटवारी हल्का लिखमीसर उत्तरादा द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि अपीलार्थी ने ग्राम लिखमीसर उत्तरादा के खसरा नम्बर 319 तादादी 3.93 हैक्टर गैर मुमकीन गोचर भूमि में से 0.0156 हैक्टर में नाजायज बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है। अतः इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। प्रस्तुत रिपोर्ट पर अपीलार्थी के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर विधिवत् नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया। गैर सायल की ओर जवाब नोटिस पेश किया। अपीलार्थी की ओर से संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित कर 50 गुणा तावान की शास्ति से आरोपित किया गया व भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिया गया है। वादगत भूमि सावर्जनिक प्रयोजन की गोचर किस्म भूमि का है जिसमें राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत इस तरह की भूमि में खातेदारी अधिकारी नहीं दिये जा सकते हैं। अपीलान्त द्वारा अतिक्रमित भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन गौचर दर्ज है। अपीलार्थी गैर मुमकीन गौचर भूमि पर अतिक्रमण करने का दोषी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

5. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा इस संबंध में विधिक प्रावधानों का भी अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का लिखमीसर उत्तरादा दिनांक 26.03.2018 को पी- 14 में संवत् 2074 ग्राम लिखमीसर उत्तरादा के खसरा नम्बर 319 तादादी 3.93 हैक्टर गैर मुमकीन गौचर भूमि में से 0.0156 हैक्टर गैर मुमकीन गौचर भूमि पर नाजायज कब्जा कर बाड़ा बनाकर गैर सायल मुखराम वगैराह साकिन लिखमीसर उत्तरादा द्वारा की जानी की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। रिपोर्ट तामील कुन्निदा अनुसार प्रार्थी घर पर हाजिर नहीं मिला। प्रार्थी का



भा. जिला कलेक्टर  
(प्रशासन), बीकानेर

नोटिस किशनलाल पुत्र नारायणराम जाट की उपस्थिति में आबाद मकान पर चस्पा की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने जवाब प्रस्तुत किया। जवाब इस प्रकार अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात् गैर मुमकीन गौचर भूमि पर अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित करते हुवे निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट का अपील में यह कथन कि अपीलाधीन आदेश पारित करते समय सुनवाई का मौका नहीं दिया एवं राजनैतिक गुटबाजी के आधार पर निर्णय पारित किया है, चलने योग्य नहीं है। साथ ही दौराने बहस प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 319 को गत खसरा नम्बर 247 से होने व जमाबंदी संवत् 2018 में आराजीराज होने के अलावा खसरा नम्बर 247 गत बंदोबस्त में खसरा नम्बर 165/2 में पैमूद होना तथा भूरा, अमरा पिसरान लालू के नाम खातेदारी दर्ज होना बताया जिसे गौचर नहीं मानने का कथन किया। परन्तु उक्त बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों से बाहर है तथा बहस में किये गये कथनों एवं बहस के दौरान प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात के आधार पर कोई वाद बाबत दूरुस्ती रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किये गये है। वर्तमान जमाबंदी में प्रश्नगत भूमि गैर मुमकीन गौचर दर्ज है। ऐसी स्थिति में वर्तमान राजस्व रिकार्ड के विपरीत कोई तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने के आधार पर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.2018 यथावत रखा जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।



( ए.एच. गौरी )  
अति.जिला कलक्टर, (प्रशा.)  
अति. जिला कलक्टर  
(प्रशासन). बीकानेर